राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकः–प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/18/20237 जयपुर, दिनांकः– 5/10/2018

आदेश

नगरीय निकायो द्वारा किराया/लाईसेन्स/यूज एण्ड आक्यूपेशन पर दिये गये विभिन्न व्यवसायो के लिए भू–खण्ड/स्थल/दुकान/केबिनो को 99 वर्ष की लीज पर नियमन/विक्रय करने के सम्बन्ध में मंत्रीमण्डल आज्ञा सं. 199/2018 के निर्णय के अनुसार पूर्व मे जारी विभागीय आदेश दिनांक 10.05.17 दिनांक 27.06.17 एवं दिनांक 14.08.17 को प्रत्याहारित करते हुए निम्न अनुसार 99 वर्ष लीज पर विक्रय करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती हैः–

(i). दिनांक 26.01.1950 से पूर्व के किरायेदारो से वर्तमान व्यवसायिक आरक्षित मूल्य की 25 प्रतिशत राशि एक मुश्त ली जावें।

(ii). दिनांक 26.01.1950 से 10.08.1983 तक की अवधि के किरायेदारो से वर्तमान व्यवसायिक आरक्षित मूल्य की 50 प्रतिशत राशि एक मुश्त ली जावें।

(iii). दिनांक 11.08.1983 से 17.06.1999 तक की अवधि के किरायेदारो से वर्तमान व्यवसायिक आरक्षित मूल्य की 75 प्रतिशत राशि एक मुश्त ली जावें।

(iv). उपरोक्तानुसार एक मुश्त राशि के अतिरिक्त प्रतिवर्ष वर्तमान व्यवसायिक आरक्षित दर की 05 प्रतिशत राशि लीज/किराये के रूप में प्रतिवर्ष वसूल होगा। आठ वर्ष की राशि एक मुश्त जमा कराये जाने पर किराया मुक्त किया जा सकेगा।

(v). यदि मूल किरायेदार द्वारा दुकाने Sublet कर दी गई है तो एक मुश्त वसूल की जाने वाली राशि का 50 प्रतिशत प्रीमियम अतिरिक्त रूप से वसूल किया जावें।

(vi). पूर्व की लीज अवधि/किरायेदारी जिस दिनांक को समाप्त हुई है उस दिनांक से अगले 99 वर्ष के लिए लीज पर नियमन किया जावेगा।

(vii). ऐसे लघु अवधि लीज धारक/किरायेदार की भूतल पर निर्मित दुकान के प्रथम तल की छत अथवा छत पर किये गये निर्माण का 99 वर्ष की लीज पर नियमन वर्तमान व्यवसायिक डीएलसी दर की 50 प्रतिशत राशि वसूल कर किया जा सकेगा।

(viii).99 वर्ष की लीज पर नियमन करने के जारी किये जाने वाले आदेश आगामी दिनांक 31.12.18 तक ही प्रभावशील रहेगे। उक्त अवधि में नियमन नहीं कराने वाले लीज धारक/किरायेदारो से सम्पत्ति खाली कराने की कार्यवाही नगरीय निकायो द्वारा कराई जावेगीं।

(ix). उक्त दरें उन दुकानों पर लागू होंगी, जिनका क्षेत्रफल 40 वर्गमीटर या उससे कम हैं।

(x). दुकानों का क्षेत्रफल 40 वर्गमीटर से अधिक व 75 वर्गमीटर होने पर उक्त उल्लेखित दरों से वसूल की जाने वाली राशि पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त प्रीमियम वसूल किया जायेगा।

(xi). दुकानों का क्षेत्रफल 75 वर्गमीटर से अधिक व 100 वर्गमीटर तक होने पर उक्त उल्लेखित दरों से वसूल की जाने वाली राशि पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त प्रीमियम वसूल किया जायेगा।

(xii). राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित इस निष्पादन नीति को बोर्ड की बैठक में अंगीकार किया जाकर अविलम्ब लागू किया जावें।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकः–प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/18/20238-20670 जयपुर, दिनांकः– 5/10/2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

01. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।

D/Mantrimandal/

Scanned by CamScanner

11. उपनिदेशक
12. मुख्य लेखा
13. आयुक्त
कियो
सु
14.

02. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
03. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
04. प्रमुख शासन सचिव, मंत्रीमण्डल सचिवालय, राजस्थान जयपुर को मंत्रिमण्डल आज्ञा संख्या 199/2018 के क्रम में।
05. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
06. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
07. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
08. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद्/पालिकाएँ, समस्त राजस्थान।
09. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद्/पालिकाएँ, समस्त राजस्थान।
10. प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु।
11. सुरक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

D/Mantrimandal/

Scanned by CamScanner